FORM No. III
पत्रावली
(नियम 26)

उपखण्ड अधिकारी ढूंढला — उपखण्ड अधिकारी ढूंढला

नियम ... मुकाम ... ढूंढला

नियम ... बनाम ... अन्य ... के बयान ... 14/12/2021 ...

क्रम	मुकदमा का संक्षिप्त नाम व संक्षिप्त विवरण	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस मुकदमा की तामील में जारी हुए
26	[illegible] की ओर से अधिवक्ता श्री एन. के. मेहता एडवोकेट एडवोकेट द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत धारा 82 व 83 भू.रा.ति.अ. के तहत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बड़ीसादड़ी में दिनांक 15-2-2007 को अभिवादीगण श्री नन्दा पिता ऊमा, बना आलू पिता ऊमा के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया जिसका प्रकरण संख्या 56/2007 दर्ज हुआ पश्चात्वर्ती प्रक्रम पर वाद पत्र शासन अतिरिक्त आर्थिक (क्र. 4) विभाग राजस्थान जयपुर के आदेशानुसार प्रकरण की पत्रावली न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बड़ीसादड़ी से न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ढूंढला को स्थानान्तरित हुई जिसका प्रकरण संख्या 129/2010 पर दर्ज हुआ जो दिनांक 3-12-2010 को डिक्री हुआ मूल वाद प्रकरण संख्या 129/2010 लिखित दिनांक 3-12-2010 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 6 नियम 12 धारा 151 सीपीसी का बाबत एक पक्षीय डिक्री (Ex-Parte Decree) प्रार्थी प्रतिवादीगण को अपना पक्ष रखने का अवसर प्रदान करने हेतु पेश किया गया प्रार्थी प्रतिवादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री विजय सिंह राठौड़ के द्वारा पेश किया गया, प्रार्थना पत्र को बाद जांच दर्ज कर वादी द्वारा पिता रखा डांगी को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस बाद तामील प्राप्त हुआ इनकी ओर से अधिवक्ता श्री एन. के. मेहता ने दिनांक 20-3-2024 को उपस्थिति दी गई तथा जवाब हेतु अवसर चाहा गया। प्रार्थी के अधिवक्ता ने दिनांक 12-9-2024 को प्रार्थी के अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सी.पी.सी. का व धारा 5 का जवाब पेश किया गया जिसकी नकल वकील प्रतिवादी पक्ष को दिलाई गई। पत्रावली बहस [illegible] नियमानुसार की [illegible] 15-10-2025 को वकील प्रतिवादीगण [illegible] पेश की गई जिसकी प्रति वकील [illegible] दी गई। विपक्षी के अधिवक्ता द्वारा लिखित बहस [illegible]	

14/8/25

उपखण्ड अधिकारी एवं
उपखण्ड मजिस्ट्रेट, ढूंढला

Signature Not Verified
Digitally signed by Ishwar Lal Khatik
Date: 2026.04.15 12:52:04 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner